

अध्याय V  
राज्य आबकारी

## अध्याय-V: राज्य आबकारी

### 5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं।

### 5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभाराधीन एक आंतरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की नमूना जांच करनी होती है।

गत पांच वर्षों की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 5.1 में दी गयी है:

**तालिका 5.1**

वर्ष	बकाया इकाईयाँ	वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाईयाँ	कुल इकाईयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयाँ का प्रतिशत
2015-16	0	41	41	37	4	10
2016-17	4	41	45	40	5	12
2017-18	5	44	49	28	21	43
2018-19	21	44	65	19	46	71
2019-20	46	44	90	17	73	81

स्रोत: राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ऐसी इकाईयाँ जिनकी लेखापरीक्षा बकाया थी, के प्रतिशत में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका 5.2 में दी गयी है:

**तालिका 5.2**

वर्ष	1995-96 से 2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
अनुच्छेद	176	92	123	178	192	-	761

स्रोत: राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के अंत में 761 अनुच्छेद बकाया थे जिनमें से 176 अनुच्छेद पांच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे। विभाग द्वारा कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनुच्छेदों का बकाया रहना आंतरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य को विफल करता है।

सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिए बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा बकाया अनुच्छेदों पर समुचित कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए।

### 5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में कुल 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ (54 कार्यान्वयन इकाइयाँ सहित) हैं, जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा 40 इकाइयाँ (18 कार्यान्वयन इकाइयाँ सहित) लेखापरीक्षा हेतु चुनी गयीं। तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण, वर्ष 2019-20 के दौरान 39 इकाइयाँ (18 कार्यान्वयन इकाइयाँ सहित) की लेखापरीक्षा की जा सकी। इन इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें 4,173 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 7,195 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित हैं, की संवीक्षा 10,900 प्रकरणों की जांच के साथ की गई। इसमें 2,881 (नमूना प्रकरणों का लगभग 26 प्रतिशत) प्रकरणों में राशि ₹ 28.89 करोड़ के आबकारी शुल्क व अनुज्ञापत्र शुल्क, स्पेशल वेन्डफीस, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली और प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं। समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं लेकिन आगामी लेखापरीक्षा होने तक ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थीं अपितु पहचानी भी नहीं गयी थीं। जो अनियमितताएं पायी गई वे मुख्यतः नीचे दी गयी तालिका 5.3 में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 5.3

(₹ करोड़ में)			
क्रं. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	506	25.19
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर स्पेशल वेन्ड फीस की अवसूली/कम वसूली	366	2.96
3	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	207	0.15
4	विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली	36	0.16
5	अन्य अनियमितताएं		
	(i) राजस्व	369	0.42
	(ii) व्यय	1,397	0.01
<b>योग</b>		<b>2,881</b>	<b>28.89</b>

विभाग ने 604 प्रकरणों में ₹ 19.59 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 18.38 करोड़ के 318 प्रकरण वर्ष 2019-20 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के

दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 332 प्रकरणों में ₹ 2.26 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिनमें से ₹1.05 करोड़ के 46 प्रकरण वर्ष 2019-20 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने डिस्टलरी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क की कम वसूली के दो प्रकरणों में (कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर से संबंधित) ₹ 37.50 लाख की सम्पूर्ण राशि स्वीकार एवं वसूल की। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (मई 2020) के पश्चात् राज्य सरकार ने 19 मामलों (कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर से संबंधित) में देशी मदिरा के कम मात्रा में उठाव के कारण अंतर राशि की अवसूली को स्वीकार किया एवं सिक्थोरिटी डिपॉजिट से ₹ 50.04 लाख का समायोजन किया, जबकि शेष एक प्रकरण में ₹ 1.83 लाख वसूल नहीं हुए। इन अनुच्छेदों की प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों के कुछ प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 26.21 करोड़ शामिल हैं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने टिप्पणियों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफल रहा जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

#### 5.4 रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से अतिरिक्त राशि की अवसूली

भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा के लिए जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारियों को नोटिस जारी करने एवं अतिरिक्त राशि की वसूली में विफल रहे

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2016-17 के पैरा 3.10 और 4.6 के अनुसार, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) और बीयर की कम उठायी गई मात्रा पर ₹10 प्रति बल्क लीटर (बीएल) की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों<sup>1</sup> से लिया जाना था जिन्होंने 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष की उसी तिमाही में ली गई समान मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर की न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की। प्रत्येक त्रैमास के अंत में ऐसी कम उठाई गई मात्रा की दुकान-वार गणना की जानी थी। नीति 2017-19 के पैरा 3.20 और 4.6 के अनुसार, 2017-19 के दौरान कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की दरें आईएमएफएल के लिए ₹ 20 प्रति बीएल और बीयर के लिए ₹10 प्रति बीएल संशोधित की गई।

1 रिटेल-ऑफ का अर्थ है सील पैक कंटेनर में मदिरा की खुदरा बिक्री और खुदरा विक्रेता के परिसर में उपभोग नहीं की जाती है।

इसके अलावा, आबकारी आयुक्त (ईसी) द्वारा जारी (27 जून 2016) निर्देशों के अनुसार, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के स्तर पर कम उठाई गई मात्रा पर निर्धारित दर के अनुसार अतिरिक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जानी थी।

वर्ष 2015-19 के लिए सात जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों<sup>2</sup> के अभिलेखों की जांच के दौरान (जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के बीच), यह देखा गया कि 295 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2016-19 में आईएमएफएल और बीयर उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की और इस प्रकार ₹ 2.65 करोड़ की अतिरिक्त राशि भुगतान करने के लिए देय थी। उपर्युक्त निर्देशों की अनुपालना में जिला आबकारी अधिकारी को प्रत्येक रिटेल-ऑफ लाइसेंस के लिए अतिरिक्त राशि की गणना करनी चाहिए थी और तिमाही पूरी होने के सात दिनों के भीतर संबंधित अनुज्ञाधारी को नोटिस जारी करना चाहिए था। संबंधित जिला आबकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार थे कि नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि जमा करा दी गई थी। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा न तो अनुज्ञाधारियों को नोटिस जारी किए और न ही अतिरिक्त राशि जमा की गई। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर ने (अगस्त 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच) ₹ 5.72 लाख की राशि वसूल की। इस प्रकार, ₹ 2.59 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूल नहीं हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई और अगस्त 2020) कि आक्षेपित राशि के समक्ष ₹ 0.89 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

## 5.5 कम्पोजिट फीस की कम वसूली

**परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस की गलत गणना के परिणामस्वरूप राजस्व की कम प्राप्ति**

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2016-17, 2017-18 और 2018-19 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 67-आई और 67-केकेके के अनुसार देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए)<sup>3</sup> पर आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है। आबकारी आयुक्त द्वारा जिले में प्रस्तावित देशी मदिरा की दुकानों/समूहों की संख्या को उसकी ईपीए, कम्पोजिट फीस और अमानत राशि और आवेदन शुल्क विहित करते हुए देशी मदिरा लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया जाता है।

2 जिला आबकारी अधिकारी: बाँसवाड़ा, जयपुर शहर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली एवं सीकर।

3 एकाकी विशेषाधिकार राशि: आबकारी विभाग द्वारा देशी मदिरा समूहों/दुकानों से विशिष्ट क्षेत्र में मदिरा के व्यापार के विशेष अधिकार के लिए वसूल की जाने वाली राशि को एकाकी विशेषाधिकार राशि कहा जाता है।

उपर्युक्त नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा की दुकानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नगरीय क्षेत्र के पाँच किलोमीटर के दायरे में अवस्थित गाँवों की देशी मदिरा दुकानों को 'परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे परिधीय क्षेत्र के गाँवों को नीति में निर्धारित संबंधित श्रेणियों के लिए कम्पोजिट फीस के साथ 'ए' और 'बी' के रूप में आगे और वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रेणी 'ए' की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस राजस्थान राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) की गत वर्ष की वार्षिक बिलिंग राशि के छः प्रतिशत के बराबर या संबंधित नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आईएमएफएल/बीयर की दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया। 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रेणी 'बी' की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस गत वर्ष के दौरान आरएसबीसीएल की वार्षिक बिलिंग राशि के छः प्रतिशत के बराबर या संबंधित नगरीय क्षेत्र के आईएमएफएल/ बीयर की दुकान के वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 50 प्रतिशत या ₹ 50,000 में से जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया।

2015-16 से 2018-19 तक के वर्षों के लिए, छह जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों<sup>4</sup> के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2019 और फरवरी 2020 के बीच) के दौरान, यह देखा गया कि ग्यारह समूहों की 16 देशी मदिरा दुकानों को परिधीय क्षेत्र की दुकानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ऐसे समूहों/दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस में दी गई कम्पोजिट फीस, नीति के अनुसार उनकी संबंधित श्रेणी की राशि से कम थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। सरकार ने जवाब दिया (जुलाई और अगस्त 2020) कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आक्षेपित राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

## 5.6 अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

**विभाग द्वारा सक्रिय कार्यवाही के अभाव में होटल बार अनुज्ञाधारियों से अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली**

राजस्थान आबकारी (ग्रांट ऑफ होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र) नियम (नियम), 1973 के अनुसार, होटलों को मुख्यतः तीन श्रेणियों अर्थात् लक्जरी, हेरिटेज और अन्य में वर्गीकृत किया गया था। उक्त नियम का नियम 2 (एए)<sup>5</sup> निर्धारित करता है कि 'हेरिटेज राजस्थान होटल' का आशय राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी/समिति द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी होटल है। हेरिटेज होटल को आगे 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उक्त के नियम 3 के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी

4 जिला आबकारी अधिकारी: जयपुर शहर (एक समूह-एक दुकान), चित्तौड़गढ़ (एक समूह-एक दुकान), उदयपुर (तीन समूह-चार दुकानें), अजमेर (दो समूह-चार दुकानें), भरतपुर (एक समूह-दो दुकानें) एवं सीकर (तीन समूह-चार दुकानें)।

5 31 जनवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया।

के होटल अर्थात् हेरिटेज/अन्य होटलों के बार अनुज्ञापत्र के लिए प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए मूल अनुज्ञा शुल्क की दरें निर्धारित की गई थीं।

2015-19 की अवधि के लिए अभिलेखों की जांच (जनवरी 2020 और मार्च 2020 के बीच) में दो जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों<sup>6</sup> के निम्न छह मामलों में होटल बार अनुज्ञाधारियों से अनुज्ञा शुल्क ₹ 31.00 लाख की कम वसूली प्रकट हुई:

(i) 2012-13 से दो बार (जिला आबकारी अधिकारी, पाली) और 2016-17 से एक बार (जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनू) को उन होटलों में संचालित किया जा रहा था जिन्हें हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। तथापि, इन होटल बारों का अनुज्ञापत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए 'अन्य होटलों' की श्रेणी के अंतर्गत वसूलनीय अनुज्ञा शुल्क के स्थान पर हेरिटेज होटल के अंतर्गत श्रेणी 'सी' के लिए लागू अनुज्ञा शुल्क वसूल कर नवीनीकरण किया गया था।

(ii) अन्य तीन मामलों में, 25 से अधिक कमरों वाले होटल में तीन बार नगरीय सीमा में स्थित थे। तथापि, सक्षम अधिकारियों ने 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए इन होटल बार के अनुज्ञापत्र का 25 कमरों तक के होटलों के लिए लागू अनुज्ञा शुल्क की वसूली कर नवीनीकरण किया।

इस प्रकार, अनुज्ञाधारी ₹ 90.00 लाख के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन होटल बार के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अनुज्ञा शुल्क की ₹ 31.00 लाख की कम वसूली हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि जिला आबकारी अधिकारी, पाली के अधिकार क्षेत्र में एक इकाई से ₹ 8.00 लाख वसूल किये गये हैं और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

## 5.7 बीयर उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक का संधारण न करना

**बीयर उत्पादन के लिए ब्रेवरीज द्वारा न्यूनतम प्राप्ति दक्षता का संधारण न करने पर शास्ति की कम वसूली**

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 34 (ए) के अनुसार, प्रत्येक ब्रेवर उपयोग में लिए गए प्रत्येक 100 किलोग्राम माल्ट और अन्य कच्चे माल से 650 लीटर माइल्ड बीयर या 490 लीटर स्ट्रांग बीयर की न्यूनतम प्राप्ति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त बीयर की प्राप्ति में कमी के मामले में ₹ 10 प्रति लीटर की शास्ति लगा सकता है जब तक कि ब्रेवर द्वारा यह साबित नहीं किया जाता है कि विफलता जानबूझकर नहीं की गई थी और बीयर के लिए प्राप्ति के निर्दिष्ट पैमाने को बनाए रखने के

6 जिला आबकारी अधिकारी, पाली एवं झुंझुनू।

लिए उसके द्वारा आवश्यक सावधानी बरती गई थी। इसके अलावा, यदि ब्रेवर बीयर के लिए प्राप्ति के न्यूनतम पैमाने को बनाए रखने में बार-बार विफल रहता है, तो आबकारी आयुक्त ऐसे ब्रेवर के अनुज्ञा पत्र को, सुनवाई का अवसर देने के बाद, रद्द या निलंबित कर सकता है। इसके अलावा, विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को प्रभावी पर्यवेक्षण और निरंतर निगरानी के साथ उक्त नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया (अगस्त 2019)।

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर और जिला आबकारी अधिकारी (उत्पादन इकाइयाँ), बहरोड़ कार्यालयों के क्षेत्राधीन छः ब्रेवरीज के अभिलेखों की नमूना जांच (नवंबर 2019) में पता चला कि इन इकाइयों ने बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता के मानदंडों को प्राप्त नहीं किया। इन इकाइयों ने कुल 389 माइल्ड ब्रू में से कम प्राप्ति वाले 158 ब्रू के अन्तर्गत उपयोग में लिए गये 6.44 लाख किलोग्राम कच्चे माल से 33.12 लाख बल्क लीटर माइल्ड बीयर का उत्पादन किया। इसी प्रकार, 8,855 स्ट्रॉंग ब्रू में से कम प्राप्ति वाले 6,465 ब्रू के अन्तर्गत उपयोग में लिए गये 373.58 लाख किलोग्राम कच्चे माल से 1686.54 लाख बल्क लीटर स्ट्रॉंग बीयर का उत्पादन किया। मानकों के अनुसार, उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री से बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता 1,872.41 लाख बीएल (माइल्ड बीयर 41.85 लाख बीएल और स्ट्रॉंग बियर 1830.56 लाख बीएल) होनी चाहिए। इस प्रकार, ब्रेवर बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता को बनाए रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 152.75 लाख बीएल बीयर का कम उत्पादन हुआ। बीयर के कम उत्पादन पर अधिरोपित शास्ति ₹ 15.28 करोड़ के समक्ष विभाग ने ₹ 7.34 करोड़ की शास्ति वसूल की, परिणामस्वरूप ₹ 7.94 करोड़ की कम वसूली हुई।

यहां यह बताना भी समीचीन होगा कि इन छः ब्रेवर्स में से पांच ब्रेवर्स वही थे जिनपर 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व और आर्थिक क्षेत्र) के अनुच्छेद 6.4.7.3 में टिप्पणी की गई थी। तथापि, विभाग ने ब्रेवर्स, जो बीयर के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम पैमाने को बनाए रखने में बार-बार विफल रहे, के अनुज्ञापत्र रद्द करने की कार्यवाही नहीं की।

प्रकरण जून और सितंबर 2020 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। इसके जवाब में सरकार ने कहा (नवम्बर 2020) कि चार ब्रेवर्स के संबंध में ₹ 18.12 लाख की शास्ति वसूली गयी है। शेष दो ब्रेवर्स हाई ग्रेविटी बियर (एचजीबी) का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए, एचजीबी के मानकों हेतु सुझाव देने के लिए विभागीय स्तर पर एक समिति गठित की गई है क्योंकि एचजीबी के उत्पादन के लिए मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इन दो ब्रेवर्स में से एक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और न्यायालय ने वसूली प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचजीबी के उत्पादन की अनुमति प्रदान करने से पूर्व एचजीबी से सम्बंधित मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिये था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

**5.8 प्रतिभूति जमा और अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि को जब्त करने का अभाव**

**देशी मदिरा समूहों से प्रतिभूति जमा और अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) जब्त न करने के कारण राजस्व की हानि**

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 का नियम 67-आई यह प्रावधान करता है कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र के भीतर खुदरा मूल्य पर देशी मदिरा बेचने का एकाकी विशेषाधिकार अनुज्ञापत्र, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए ईपीए के भुगतान की शर्त पर आवेदन आमंत्रित करके दिया जा सकता है। राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2017-18 और 2018-19 के प्रावधानानुसार वर्ष 2017-18 के लाइसेंस वाले देशी मदिरा समूहों को उनके वर्ष 2018-19 के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु 2018-19 के लिए निर्धारित ईपीए के 16 प्रतिशत के बराबर नवीनीकरण शुल्क के भुगतान का विकल्प दिया गया जबकि शेष समूहों के लिए लाइसेंस आवेदन आमंत्रित करके दिए जाने थे। सफल आवेदकों को निर्धारित समय के भीतर प्रतिभूति जमा और अग्रिम ईपीए राजकोष में जमा कराना आवश्यक था।

नीति के पैरा 3.5 में प्रावधान किया गया है कि देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारी को लाइसेंस अवधि शुरू होने से पहले अग्रिम ईपीए के रूप में समूह की निर्धारित वार्षिक राशि का 18 प्रतिशत जमा कराना था। इसके अलावा, नीति के पैरा 3.6 में प्रावधान किया गया है कि प्रतिभूति जमा के रूप में 8 प्रतिशत राशि आवेदन की शर्तों के अनुसार नकद में जमा की जाएगी। तदनुसार, आवेदन की शर्त 9 में यह निर्धारित किया गया कि किसी भी स्तर पर चूक की स्थिति में, दुकान का चयन रद्द कर दिया जाएगा और उस स्तर तक जमा की गई ईएमडी, प्रतिभूति जमा और अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि जब्त कर ली जाएगी। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी (जनवरी 2018) निर्देशों के अनुसार, इन दुकानों का नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करके फिर से बंदोबस्त किया जाएगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (शहर) के 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की जांच में पाया गया (जुलाई 2019) कि 66 देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञापत्र आवेदन आमंत्रित करके प्रदान किए गए थे। इनमें से तीन लाइसेंसधारियों ने प्रतिभूति जमा के रूप में निर्धारित तिथि 31 मार्च 2018 तक की निर्धारित समय सीमा तक ₹ 34.65 लाख के स्थान पर केवल ₹ 4.36 लाख जमा किए। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय ने इन दुकानों/समूहों के अनुज्ञापत्र को रद्द करने तथा प्रतिभूति जमा और अग्रिम ईपीए को जब्त करने के बजाय शेष प्रतिभूति जमा को नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में अगले वर्ष में जमा करने की अनुमति दी जिससे ₹ 77.31 लाख<sup>7</sup> के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2020)। सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2020) कि सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं तथा बंदोबस्त की शर्तों की भविष्य में अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी जिला

7 ₹ 77.31 लाख: अग्रिम ईपीए ₹ 72.95 लाख एवं प्रतिभूति जमा ₹ 04.36 लाख

आबकारी अधिकारियों को अनुदेश जारी किये जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

### 5.9 मासिक गारंटी राशि की कम वसूली

**देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से मासिक गारंटी राशि की कम वसूली से राजस्व की हानि**

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2017-19 के अनुसार, देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त ईपीए के आधार पर किया जाना था। देशी मदिरा दुकान/समूह का लाइसेंसधारी देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित ईपीए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, देशी मदिरा खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को मासिक गारंटी राशि के रूप में बारह समान मासिक किशतों में निर्धारित समूह/दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान करना था। मासिक किस्त का भुगतान उस महीने की अंतिम तारीख तक किया जाना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में विफल रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर की राशि का नकद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

2015-19 की अवधि के लिए आठ जिला आबकारी अधिकारियों<sup>8</sup> के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) के दौरान यह देखा गया कि 2018-19 के दौरान, 1736 लाइसेंसधारियों में से 240 ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 95.53 करोड़ के समक्ष ₹ 82.43 करोड़ की देशी मदिरा उठाई। इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान दो जिला आबकारी अधिकारियों<sup>9</sup> के मामले में 407 अनुज्ञाधारियों में से 34 ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 1.40 करोड़ के समक्ष ₹ 1.13 करोड़ की देशी मदिरा उठाई। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने अंतर राशि की वसूली नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप मासिक गारंटी राशि ₹ 13.37 करोड़ की कम वसूली हुई।

यह मुद्दा पहले भी उठाया जा चुका है और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व और आर्थिक क्षेत्र) में अनुच्छेद 6.4.10.2 के रूप में प्रकाशित किया गया था जहां विभाग ने आक्षेपों को स्वीकार किया और कार्यवाही/वसूली शुरू की और यह भी कहा था कि एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) में आवश्यक प्रावधान जोड़ दिया जाएगा, जो देशी मदिरा खुदरा लाइसेंसधारियों से मासिक गारंटी राशि में कमी की वसूली को सुगम बनाएगा।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2020)। सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि ₹ 13.37 करोड़ में से ₹ 3.88 करोड़ की वसूली कर ली गयी है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी बताया कि मासिक गारंटी राशि में कमी की वसूली को सुगम

8 जिला आबकारी अधिकारी: अजमेर, अलवर, जयपुर शहर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, एवं झुंझुनू।

9 जिला आबकारी अधिकारी: बीकानेर एवं जोधपुर।

बनाने के लिये आईईएमएस में प्रावधान कर दिया गया है। वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।